

सं०सं०-१ / प्र०नर्स-०२ / २०१८- ५४(१)क०  
**बिहार सरकार**  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,  
 सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,  
 ए०एन०एम० स्कूल,  
 इस्लामपुर, नालन्दा।

पटना, दिनांक- ११ / ८ / २०१८

**विषय:-** प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड-20-2210051050012 अंतर्गत ए०एन०एम० स्कूल, इस्लामपुर को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विद्युत प्रभार एवं संविदा सेवायें मद में कुल रु० 10,78,500/- (रुपये दस लाख अठहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, ए०एन०एम० स्कूल, इस्लामपुर, नालन्दा के पत्रांक-९६, दिनांक-०८.०८.२०१८ के आलोक में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड-20-2210051050012 अंतर्गत ए०एन०एम० स्कूल, इस्लामपुर को विद्युत प्रभार एवं संविदा सेवायें मद में कुल रु० 10,78,500/- (रुपये दस लाख अठहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र के अतिरिक्त आवंटन निम्नरूपेण दी जाती है-

विषय शीर्ष	संयुक्त उपबंध	पूर्व का कुल आवंटन	ए०एन०एम० स्कूल, इस्लामपुर को वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
0012.13.04 विद्युत प्रभार	2500000	2421500	78500	2500000	0
0012.28.02 संविदा सेवायें	20000000	19000000	1000000	20000000	0
कुल योग -	22500000	21421500	1078500	22500000	0

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 / वि०(२) दिनांक-१७.०४.१९९८, २८८० / वि०(२) दिनांक-०६.०५.०६, ९६ / वि०(२) दिनांक-०९.०१.०८ सह-पठित संकल्प संख्या-२१९० / वि०(२), दिनांक-१७.०३.०८, २९३८ / वि०(२), दिनांक-०८.०४.०८ एवं ३३८८ / वि०(२) दिनांक-१८.०४.२०११ के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, ए०एन०एम० स्कूल, इस्लामपुर, नालन्दा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-२०, मुख्य शीर्ष-२२१०-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-०५-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-१०५-एलोपैथी-००१२-प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड-20-2210051050012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी।

(१)

क्रमांक:

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण—पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

8. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, बिहार शरीफ (नालन्दा) से की जाएगी।

9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

10. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

Q4/10/18

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1 / प्र०नर्स-02 / 2018-54(1)वट / स्वा०, पटना, दिनांक-11 / 10 / 2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० ० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / जिलाधिकारी, नालन्दा / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बिहार शरीफ (नालन्दा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Q4/10/18

सरकार के विशेष सचिव

सं.